उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1
संख्या:-136/2018/1158(।)/14-1-2018-300(9)/2015
लखनऊः दिनांक 08 जून 2018

कार्यालय-आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रत्नेश श्रीवास्तव, भा0व0से0, (से0नि0) को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 30.04.2018 को (अर्द्धवेतन अवकाश/उपार्जित अवकाश की कुल देयता) देय 300 दिनो के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-20(ए)(1) के अंतर्गत श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त व्यय लेखाशीर्ष-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-05-अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

ओम प्रकाश
विशेष सचिव।

संख्या-136/2018/1158(1)/14-1-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ।
2- कि श्री रत्नेश श्रीवास्तव, भा0व0से0, (से0नि0), 2/18, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in